कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला–दुर्ग

रूचि की अभिव्यक्ति ऑफर सूचना

क्र./जन स्वा. वि./ 874/2025 भिलाई, दिनांक 26.9.2025

नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत गोकुल नगर में बायो गैस प्लांट स्थापित करने, रख–रखाव एवं संचालन हेतु रुचि की अभिव्यक्ति दिनांक 28.10.2025 को आमंत्रित की जाती है। संबंधित फर्म/ठेकेदार द्वारा राशि रु. 3000.00 की डी.डी. किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई के नाम पर जमा कर दिनांक 17.10.2025 को समय 5:30 बजे तक कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर नियम शर्त की प्रति प्राप्त कर सकते हैं। नियम शर्त के अनुसार ऑफर जमा करने की अंतिम तिथि 28.10.2025 को सायं 5:30 बजे तक स्पीड पोष्ट के माध्यम से प्राप्त की जावेगी। प्राप्त ऑफर लिफाफा दिनांक 29.10.2025 को समय 11:00 बजे खोली जावेगी। अन्य जानकारी नियम शर्ते नगर पालिक निगम भिलाई के वेबसाईट www.bhilainagarnigam.com अथवा www.uad.cg.gov.in में देखी जा सकती है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
भिलाई

कार्यालय, नगर पालिक निगम भिलाई, जिला–दुर्ग

बायो गैस प्लांट निर्माण एवं संचालन हेतु संशोधित नियम शर्ते

गोकुल नगर कुरुद में स्थित शासकीय भूमि में बायो गैस प्लांट की स्थापना किये जाने के संबंध में संशोधित नियम शर्ते निम्नानुसार है :–

1. नगर पालिक निगम भिलाई क्षेत्रान्तर्गत स्थित गोकुल नगर कुरुद में 164 भैस खटाल संचालकों को भैस खटाल संचालित किये जाने हेतु आवंटन किया गया है।
2. भैस खटाल संचालकों के पास वर्तमान में 4125 मवेशी है, जिससे प्रतिदिन लगभग 25–30 टन गोबर निकलता है। उत्पादित गोबर का निष्पादन हेतु बायो गैस प्लांट स्थापित किया जाना है।
3. ऑफरकर्ता के द्वारा बायो गैस प्लांट की स्थापना, रख–रखाव एवं संचालन स्वयं के व्यय से करना होगा।
4. ऑफरकर्ता को विद्युत कनेक्शन, पानी एवं प्लांट संचालन में उपयोग आदि की व्यवस्था स्वयं के व्यय से करना होगा।
5. गोकुल नगर कुरुद में स्थापित बायो गैस प्लांट संचालन की प्रारंभिक अवधि 15 वर्षो के लिए होगी, कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर समयावधि में वृद्धि की जा सकती है।
6. गोकुल नगर के रिक्त भूमि 0.55 एकड़ पर प्लांट स्थापित करना होगा। भूमि का चिन्हांकन निगम द्वारा किया जायेगा तथा संलग्न नक्शे से बकाया रिक्त भूमि पर आर एंड डी. के लिए उपयोग किया जायेगा।
7. इस परियोजना के लिए सभी निवेश की जिम्मेदारी ऑफरकर्ता की होगी। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा परियोजना हेतु केवल भूमि उपलब्ध करायी जायेगी, इस प्रक्रिया से कोई भी लाभ–हानि ऑफरकर्ता के खाते में होगी।
8. खटालों से गोबर प्राप्त करने का सम्पूर्ण अधिकार ऑफरकर्ता का होगा। इस कार्य में नगर निगम ऑफरकर्ता को सहयोग प्रदान करेगा।
9. बायो गैस प्लांट से प्राप्त आय (लाभांश) का 25 प्रतिशत से अधिक राशि निगम कोष में जमा करने वाले अधिकतम ऑफरकर्ता को कार्य आवंटित किया जावेगा।
10. बायो गैस प्लांट एवं स्थापित क्षेत्र की साफ–सफाई, छिड़काव पर्यावरण का बचाव, कार्यरत कर्मचारियों को सूरक्षा समाग्री ऑफरकर्ता को उपलब्ध कराना होगा।
11. ऑफरदाता को निम्नलिखित दस्तावेज पेन कार्ड की छायाप्रति, आधार कार्ड, कार्य योजना, विगत एक साल की सी.ए. द्वारा सत्यापित आडिट रिपोर्ट की छायाप्रति एवं ऑफरकर्ता का नाम काली सूची में नहीं होने के आशय का शपथ पत्र लिफाफा 'अ' में प्रस्तुत करना होगा, लिफाफा ब में निविदा दर प्रस्तुत करना होगा। उपरोक्तरनुसार लिफाफा 'अ' एवं 'ब' को एक बंद लिफाफे 'स' में स्पीड पोस्ट के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा।
12. ऑफरकर्ता अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग रसायनों प्रसंस्करण सामग्री, चावल की भूॅसी, गेहूं के भूंसे, कृषि अपशिष्ट के अधिग्रहण एवं भुगतान करेगा।
13. इस परियोजना के लिए सभी निवेश की जिम्मेदारी ऑफरकर्ता की होगी।
14. निगम उपरोक्त सभी कार्यो के लिए अनापत्ति प्रदान करेगी, संयंत्र स्थापना के पश्चात् अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र तथा पर्यावरण विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा, निगम इसके लिए सहयोग प्रदान करेगा।

..........2

15. पी.एन.जी एवं पानी के लिए नियंत्रण कक्ष ऑफरकर्ता को स्थापित करना होगा।
16. प्रोजेक्ट प्रारंभ होने के बाद सारे खाते किसी सी.ए. द्वारा ऑडिट कर लाभ/हानि नियमित रुप से तैयार किया जायेगा।
17. उपरोक्त क्षेत्रों में WEIGHINGMACHINE की व्यवस्था ऑफरकर्ता द्वारा की जायेगी।
18. ऑफरकर्ता को मृत पशुओं को इंसीनेटर यूनिट में भस्मीकरण के उपरांत अस्थि (हड्डी) इकट्ठा करने इसका उपयोग करने के लिए आर एन्ड डी (रिसर्च एंड डव्हल्पमेंट) करने का अधिकार ऑफरकर्ता के पास रहेगा।
19. ऑफरकर्ता द्वारा रसोई में उपयोग किये जाने योग्य Piped Natural Gas (PNG) में परिवर्तित कर नागरिकों को पाईप लाईन के माध्यम से आपूर्ति करने के संबंध में ऑफर के साथ विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत करेंगे।
20. आफरकर्ता को 15 वर्ष के बाद समयावधि बढ़ाये जाने की स्थिति में उत्पादित ऊर्जा की विक्रय से प्राप्त आय का 30 प्रतिशत राशि निगम कोष में जमा करना होगा।
21. किसी भी तरह की विवाद की स्थिति में आयुक्त नगर पालिक निगम भिलाई का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।

स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम
भिलाई